

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुमति-१

संख्या-७८/ix-१/१७/२५/२०१५

देहरादून दिनांक : २१, दिसम्बर २०१७

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-३१६/ix-१/२५/२०१५, दिनांक २७ अग्रैल, २०१५ को अवधारित करते हुए हारा राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अधिकारी में निनानुसार में राज्य सड़क सुरक्षा एवं अनुश्रवण समिति का गठन करने की ओर राज्यालय साहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

१-	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
२-	प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
३-	प्रमुख सचिव/ सचिव, गृह विभाग	सदस्य
४-	प्रमुख सचिव/ सचिव, चिकित्सा विभाग	सदस्य
५-	प्रमुख सचिव/ सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
६-	प्रमुख सचिव/ सचिव, वन विभाग	सदस्य
७-	प्रमुख सचिव/ सचिव, आषकारी विभाग	सदस्य
८-	प्रमुख सचिव/ सचिव, शहरी विकास विभाग	सदस्य
९-	प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
१०-	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य
११-	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।	सदस्य
१२-	आयुक्त, कुमौरोंड मण्डल, नैनीताल।	सदस्य
१३-	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य
१४-	मुख्य अधिकारी स्तर-१, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
१५-	सीमा सड़क संगठन के अधिकारी	सदस्य
१६-	द्वेर्गीय अधिकारी, एन०८च०१०आई०।	सदस्य
१७-	प्रमुख सचिव/ सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य सचिव
२-	यह समिति राज्य क्षेत्र पर लौह एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए सड़क सुरक्षा एवं मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने हेतु नीतियों का निर्माण एवं अनके अनुपालन का अनुश्रवण करेगी। समिति की वर्ष में कम से कम ०२ बैठकें होंगी तथा समिति अपनी बैठकों में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।	

(सत्यपाल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या ७८ (१)/ ix-१/५६(२०१०)/२०१७

प्रतिलिपि निनानुसार का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित:-

१. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव/ प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
२. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. समिति के अध्यक्ष/ समस्त सदस्य।
४. आयुक्त, गढ़वाल/ कुमौरोंड उत्तराखण्ड।
५. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
६. समस्त समाजीय/ साहाय्यक समाजीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. संयुक्त, निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुद्रकी, हरिद्वार को राजपत्र के आगामी बंक में प्रकाशनार्थ।
८. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

बाजा औ.

(मौसमित प्रमिल)